सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1084 राँची, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 (ई०)

### विधि (विधान) विभाग

---

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2018

**संख्या-एल०जी०-06/2018-175/लेज०--**झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

### बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018

(झारखण्ड अधिनियम, 20, 2018)

झारखंड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू, संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा के अतिरिक्त मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा की मान्यता देने के लिये अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज को जोड़ा जाना

भारत राज्य के 69वें वर्ष में झारखंड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:

(1) यह अधिनियम बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा को जोड़ा जाना है-

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

"अन्य द्वितीय राजभाषा: राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिये राज्य के भाषा-भाषियों के हित में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी ।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**संजय प्रसाद,**
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1084 -- 50